

अध्याय
द्वारा
मंजूर

परी-आदेश

क्रमांक ७७

अज अदालत जालोरवत जिला कलेक्टर, पाली मुकाम पाली

अपीलांत

नाम

११११११

1. गोपशेठ पुर श्री श्रीगोशेठ जाले
राजपुरोहित, गिवासी जागी, काशीन
देसूरी जिला पाली

1. राजस्थान मजदूर दिवस समिती
दुर्गा, काशीन देसूरी पुर

किस्म मुकदमा: राजस्व अपील

प्रकरण संख्या:- ०१/२०२२

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1996

दिनांक
२०२२

दुम या कार्यवाही मय इतिथयल नम

26/12/22

पत्रावली श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली क निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली के आदेश क्रमांक/सीलिंग/कोर्ट/2022/182 दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायलय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाये को सूचित होकर पत्रावली दिनांक ३/०२/२३... का पेश हो।

०७/२/२३

पत्रावली पेश हुई अपीलान्त अनु०।
पक्षकार को जारी नोटिस शामिल करके मुदा प्राप्त हुआ जो शामिल जिसल किया गया। इन्जकार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक ०९/३/२३ को पेश हो।

०९/३/२३

पत्रावली पेश हुई अपीलान्त अनु० वकील मणल रंदाईस पर श्रीमान P.O. लाव अन्य दिग्गार राजस्विय कार्य के लक्ष है पत्रावली आईन्दा दिनांक २८/३/२३ को पेश हो।

२८/३/२३

पत्रावली पेश हुई।
श्रीमान P.O. लाव अन्य दिग्गार राजस्विय कार्य के लक्ष है पत्रावली आईन्दा दिनांक १८/४/२३ को पेश हो।

17/3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/23	पञावली पेडा हुक्म / साविक कोदेडा की पालना होकर पञावली दिनांक 24/1/2024 को पेडा हो। अति. जिला कलेक्टर बाली (पाली)	
24/01/24	पञावली पेडा हुक्म / वृक्षलाग कार्य समाप्त पर ही पेडा हुक्म जारी होकर पञावली दिनांक 13.02.24 को पेडा हो। अति. जिला कलेक्टर बाली (पाली)	
13.02.24	पञावली पेडा हुक्म / पञावली में पूर्व कोदेडा समाप्त होकर दिनांक 06/03/2024 को पेडा हो। अति. जिला कलेक्टर बाली (पाली)	
06/03/24	वृक्षलाग कार्य समाप्त पर ही पञावली में पेडा हुक्म जारी होकर पञावली दिनांक 27/3/24 को पेडा हो। अति. जिला कलेक्टर बाली (पाली)	
27/3/24	पञावली पेडा हुक्म / अतिरिक्त अभी तक अनुपस्थित। आवज दिनांक 17/3 के उपरान्त भी अनुपस्थित की पञावली के अवलोकन के स्पष्ट दि लम्बे लम्बे के अतिरिक्त अभी तक उपरान्त के दिनांक हेतु अभी वलोकन उपरान्त ही कर रहे हैं। अतः अभी तक अभी तक अतः उपरान्त ही उपरान्त ही उपरान्त ही की जाती है। पञावली के उपरान्त ही उपरान्त ही के उपरान्त ही। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	